

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)


पृष्ठांक 1654 /दो/ 12-01/2023

पन्ना, दिनांक- 29 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :- यथाआदेश

01- श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग पन्ना (म0प्र0) को निर्धारित तिथि पर सामग्री की नीलामी कार्यवाही कराये जाने हेतु आपके अधीनस्थ जिला नाजिर, पन्ना को निर्देशित करें कि वह नीलामी तिथि-25.05.2024 दिन शनिवार समय प्रातः 11:00 बजे सामग्री की नीलामी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सामग्री की नीलामी के संबंध में नीलामी विज्ञप्ति पन्ना शहर के अन्य चौराहों, न्यायालय के सूचना पटल तथा कलेक्टर एवं तहसील न्यायालय पन्ना के बाहर विज्ञप्ति को चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

✓ 02- श्री बुद्धिराज सिंह, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना (म0प्र0) को निर्देशित किया जाता है कि, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईड (www.mphighcourt.nic.in) एवं जिला न्यायालय पन्ना की वेबसाईट (www.district.courts.gov.in panna) में अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।


जिला रजिस्ट्रार

कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म.प्र.)

क्रं. 1656 / दो-12-01 / 2023

पन्ना, दिनांक 29.4.24

::नीलामी विज्ञप्ति::

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय पन्ना के नवीन न्यायालय में रखी अनुपयोगी सामग्री की सूची अनुसार सामग्री जिसका आपसेट मूल्य राशि-1,05,055 (एक लाख पांच हजार पचपन रुपये) के विक्रय हेतु नीलामी दिनांक-25.04.2024 दिन शनिवार को प्रातः 11:00 खुली निविदा के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाना है ।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना के नजारत अनुभाग, पन्ना में राशि-200/-जमा कर तथा रसीद प्राप्त कर उक्त रसीद सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी के संबंध में फर्नीचर का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में इस स्थापना पर पदस्थ श्री जवाहरलाल गुप्ता, जिला नाजिर पन्ना नाजरत अनुभाग जिला न्यायालय पन्ना से उनके मोबाईल नम्बर-7974542935 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाईड (www.mphighcourt.nic.in) एवं जिला न्यायालय पन्ना की वेबसाईट (www.district.courts.gov.in panna) पर देखी जा सकती है ।

उपरोक्त अनुपयोगी सामग्री नीलामी कार्यवाही की शर्तें निम्नानुसार है:-

निविदा शर्तें

- ए- उक्त सामग्री की आफसेट वेल्यु रुपये-1,05,055 (एक लाख पांच हजार पचपन रुपये) शासकीय बोली निर्धारित है ।
- बी- उपरोक्त सामग्री की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु प्रत्येक बोलीदार को अमानत राशि के रूप में 200/-रुपये नजारत अनुभाग पन्ना में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। उक्त राशि जमा करने के उपरांत ही वह नीलामी में भाग ले सकेगें तथा उक्त तथा उक्त राशि वापिसी योग्य नहीं होगी ।
- सी- किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा ।
- डी- संबंधित अनुपयोगी सामग्री न्यायालय भवन में उपलब्ध है इस हेतु स्थापना पर पदस्थ श्री जवाहरलाल गुप्ता, जिला नाजिर नजारत अनुभाग पन्ना से मोबाईल नम्बर-7974542935 पर संपर्क करें ।
- इ- बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी सामग्री को क्य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई है ऐसा माना जावेगा ।
- एफ- नीलामी समाप्त होने के पश्चात् अधिकतम बोली लगाने वाले की राशि का अनुमोदन होने तथा स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर 03 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना के नाम से ऑनलाईन चालान के माध्यम से हेड-0070-01-800-9691 में जमा कराया जाकर ऑनलाईन चालान की रसीद मूलतः दो प्रतियों में जमा कर सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा ।
- जी- अनुपयोगी सामग्री विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता (बोलीकर्ता को) उक्त सामग्री को स्वयं के व्यय पर यथा स्थिति में न्यायालय से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)